मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०२५

कारखाना (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२५

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का संख्यांक ६३ का संशोधन.

३. धारा ५४ का संशोधन.

४. धारा ५५ का संशोधन.

५. धारा ५६ का संशोधन.

६. धारा ५९ का संशोधन.

७. धारा ६५ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०२५

कारखाना (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, कारखाना अधिनियम, १९४८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारखाना (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का संख्यांक ६३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ५४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५४ में,-

(एक) प्रारंभिक पैरा को उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित किया जाए;

(दो) इस प्रकार क्रमांकित उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"(२) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा ५१ में यथा विनिर्दिष्ट किसी सप्ताह में अधिकतम अड़तालीस घंटों के अध्यधीन कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में इस धारा में किसी दिन विश्राम के अंतराल सहित बारह घंटे तक ऐसी शर्तों पर जैसी वह समीचीन समझे, ऐसे कार्य हेतु ऐसे कर्मकार की लिखित सहमति के अध्यधीन बढ़ा सकेगी. तथापि सप्ताह में कार्य के अड़तालीस घंटे पूर्ण होने के पश्चात्, सप्ताह के शेष दिन ऐसे कर्मकार के लिए सवैतनिक अवकाश होंगे.".

धारा ५५ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५५ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"(३) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में, ऐसी शर्तों पर, जैसी वह समीचीन समझे, किसी कर्मकार के कार्य के घंटों की कुल संख्या को, बिना किसी अंतराल के छह घंटे तक बढ़ा सकेगी.

धारा ५६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५६ में,-

(एक) प्रारंभिक पैरा को उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित किया जाए;

(दो) इस प्रकार क्रमांकित उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"(२) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में, ऐसी शर्तों पर जैसी वह समीचीन समझे, विश्राम के अंतराल सहित विस्तृति बारह घंटे तक बढ़ा सकेगी.".

धारा ५६ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(१) जहाँ कोई कर्मकार किसी कारखाने में,-

(क) किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक कार्य करता हैं; या

(ख) जब सप्ताह में छह दिन कार्य करता हो तो, किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक; या

(ग) जब सप्ताह में पांच दिन कार्य करता हो तो, किसी भी दिन दस घंटे से अधिक; या

(घ) जब सप्ताह में चार दिन कार्य करता हो तो, किसी भी दिन साढ़े ग्यारह घंटे से अधिक; या

(ङ.) सवैतनिक अवकाश दिवस में कार्य करता हो,

वहाँ वह अतिकाल कार्य के संबंध में अपनी मजदूरी के साधारण दर से दोगुनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा.".

धारा ६५ का संशोधन. ७. मूल अधिनियम की धारा ६५ में, उपधारा (३) में,-

(एक) खंड (क) में, शब्द "पुरुष" का लोप किया जाए;

(दो) खंड (क) के उपखंड (चार) में, शब्द "एक सौ पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "एक सौ चवालीस" स्थापित किए जाएं;

(तीन) खंड (क) के उपखंड (पांच) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(छह) किसी कर्मकार को अतिकाल कार्य करना, ऐसे कार्य हेतु, ऐसे कर्मकार की लिखित सहमति के अध्यधीन अपेक्षित होगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अर्थव्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकताओं के साथ गति बनाए रखने के लिए मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का संख्यांक ६३) के सुसंगत उपबंधों में कार्य के घण्टों, विश्राम के अन्तरालों, विस्तृत घण्टों और अतिकालिक कार्य के घण्टों में लचीलापन सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है. विश्वास और समृद्धि का वातारण जो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ श्रामिक कल्याण को बढ़ावा देता है, प्रदान करने में नियोजक - कर्मचारी संबंधों का संतुलन निर्णायक होता है.

२. प्रस्तावित संशोधनों का लक्ष्य राज्य सरकार को ऐसे समुचित उपबंध बनाने के लिए सशक्त करना है जो सार्वभौमिक कार्य वातावरण में कर्मचारी कल्याण और प्रतिस्पर्धा के उपबंधों पर जोर देते हुए भी कार्य के घण्टों से संबंधित मामलों में लचीलापन सुधारते हैं. अतः मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए, कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ५४, ५५, ५६ ५९ और ६५ में समुचित संशोधन प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक : ३१ जुलाई, २०२५.

प्रहलाद सिंह पटेल
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित कारखाना (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२५ के जिन खण्डों में विधायनी शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्थापनाए हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:-

खण्ड ३, ४ एवं ५ — द्वारा कर्मकारों के दैनिक कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, विस्तृति, अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी, छूट के आदेश देने की शक्ति में सहमति के आधार पर वृद्धि किए जाने संबधी अधिसूचना जारी किए जाने संबंधी विधायनी शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जो सामान्य स्वरूप की होंगी.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) से उद्धरण

* * *

धारा ५४- दैनिक घण्टे- धारा ५१ के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कोई वयस्क कर्मकार किसी कारखाने में किसी दिन नौ घण्टों से अधिक के लिए कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः

परन्तु मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन यह है कि पारियों का बदला जाना सुकर बनाने के लिए इस धारा में विनिर्दिष्ट दैनिक अधिकतम बढ़ाया जा सकेगा.

धारा ५५- विश्राम अन्तराल - (१) किसी कारखाने में वयस्क कर्मकारों के प्रतिदिन के कार्य की अवधियां इस प्रकार नियत की जाएंगी कि कोई अवधि पांच घण्टों से अधिक की नहीं होगी और कोई कर्मकार कम से कम आधे घण्टे का विश्राम अन्तराल ले चुकने के पूर्व पांच घण्टे से अधिक कार्य नहीं करेगा.

(२) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी कारखाने को उपधारा (१) के उपबन्धों से छूट दे सकेगा किन्तु इस प्रकार कि किसी कर्मकार के अन्तराल के बिना कार्य के घण्टों की संख्या छह से अधिक न हो.

धारा ५६- विस्तृति- कारखाने में किसी वयस्क कर्मकार के कार्य की अवधियां इस प्रकार व्यवस्थित की जाएंगी कि धारा ५५ के अधीन उसके विश्राम के लिए अंतरालों के सहित उनकी किसी दिन साढ़े दस घण्टे से अधिक विस्तृति नहीं होगीः

परन्तु मुख्य निरीक्षक उन कारणों से, जो लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, विस्तृति को बढ़ाकर बारह घण्टे तक की कर सकेगा.

* * * *

धारा ५९- अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी- (१) जहां कोई कर्मकार किसी कारखाने में किसी दिन नौ घण्टों से अधिक या किसी सप्ताह अड़तालीस घण्टों से अधिक के लिए कार्य करता है वहां वह अतिकालकार्य के लिए अपनी मजदूरी की मामूलीदर से दुगुनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा.

(२) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए, "मजदूरी की मामूली दरों" से अभिप्रेत है अथारी मजदूरी और ऐसे भत्ते, जिनके अन्तर्गत कर्मकारों को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य भी है, जिनका कि कर्मकार तसमय हकदार हो, किन्तु बोनस और अतिकालकार्य के लिए मजदूरी इसके अन्तर्गत नहीं है.

* * *

धारा ६५- छूट के आदेश देने की शक्ति- (१) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि किये जाने वाले कार्य की प्रकृति या अन्य परिस्थितियों के कारण यह अपेक्षा करना अयुक्तियुक्त होगा कि किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों में किन्हीं वयस्क कर्मकारों के कार्य की अवधियां पहले ही नियत की जाए वहां वह उसमें के ऐसे कर्मकारों के बारे में धारा ६१ के उपबन्धों को इतने विस्तार तक और ऐसी रीति में, जैसी वह उचित समझे, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह कार्य के अवधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा शिथिल या उपान्तरित कर सकेगी

(३) (क) धारा ५१, ५२, ५४ एवं ५६ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी वयस्क पुरुष कर्मकार को, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन रहते हुए किसी कारखाने में, सप्ताह में, ४८ घण्टों से अधिक कार्य करने की अनुमति दी जा सकेंगी-

(i) किसी भी दिन कार्य के कुल घंटे बारह से अधिक न हो;

(ii) विश्राम अंतराल को मिलाकर किसी एक दिन में काम का विस्तार तेरह घंटों से अधिक नहीं हो;

(iii) अतिकाल को मिलाकर, किसी सप्ताह में कार्य के कुल घंटे साठ से अधिक नहीं हो;

(iv) किसी कर्मकार को, एक समय में सात दिन से अधिक का अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और इसी तिमाही में अतिकाल काम के कुल घंटे एक सौ पच्चीस से अधिक नहीं हो;

(v) ऐसी अतिकाल काम किसी कर्मकार के लिए अनिवार्य या बाध्यकार नहीं होगा.

(ख) अधिष्ठाता, कर्मकारों के काम के घंटों और अतिकाल काम के जानकारी ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, संधारित करेगा.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.